केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/232 दिनांक: 31.08.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00202
CICOM/R/2018/00718

अपीलकर्ता : श्री के. के. गर्ग,
461, हरगोविन्दपुरम, सिटी सैन्टर,
ग्वालियर – 474011.

निर्णय की तारीख: 31.08.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.07.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.08.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	11.08.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	402/29.08.2018 (1776/27.08.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित दिनांक 13.07.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से इक्कीस द्वितीय अपील आदेशों के अनुपालन से संबंधित छ: बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत डाक अनुभाग से सहायता लेकर पत्र सं. CICOM/R/2018/00718/CR-II दिनांक 01.08.2018 के माध्यम से आंशिक सूचना प्रदान की गई है तथा पूर्ण सूचना प्रदान करने हेतु उक्त आर.टी.आई. आवेदन केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त–बी.जे. कार्यालय को अग्रसारित किया गया है । तद्नुसार श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त–बी.जे. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

O/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
31 AUG 2018
D. No.
Initials

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त–बी.जे. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली ।

31/08/18